रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 1974/फाल्गुन 14, 1895

No. 102] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 1974/PHALGUNA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th March 1974

S.O. 145(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Ninth Amendment Order, 1974.

2. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, after sub-item (vii) of item No. 41, the following sub-items shall be added:—

"(viii) All blended yarn containing 33-1/3 per cent or more of man-made fibre; and

(ix) Any other Cellulosic or Synthetic fibre or yarn not specified above."

[No E(C)O, 1968/AM(122)]

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1974

एस० ओ० 145 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 9वां संशोधन आदेश, 1974 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनसूची 1 के भाग 'ए' में मद संख्या 41 की उपमद (7) के बाद निम्नलिखित उपमदों को जोड़ा जाएगा :—

"(8) मनुष्य निर्मित धागे के 33⅓ प्रतिशत या इस से अधिक की मात्रा वाले सभी मिश्रित धागे, और

(9) उपर उल्लिखित को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के सेलूलोसिक या सिन्थेटिक धागे।"

[सं० ई(सी) ओ, 1968/ए एम (122)]

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974